Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2022/II-P/R-05/F- / 5394 भोपाल, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022

प्रति,

श्री नीलेश कुमार राठौर,
सम्प्रवर्तक,
वार्ड न. 01, ग्राम एवं तह-राहतगॉव,
हरदा (मध्य प्रदेश) 461251

विषय: परियोजना– **द्वारिका माई रेसीडेंसी, हरदा (P-OTH-21-2834)** के संबंध में।
संदर्भ: आपका पत्र दिनांक 08-12-2022

- O -

कृपया संदर्भित आपके आवेदन का स्मरण करें। पूर्व में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए परियोजना- **द्वारिका माई रेसीडेंसी, हरदा (P-OTH-21-2834)** हेतु संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जो संलग्न है। निरस्त किए गए प्रमाण पत्र के साथ भेजे गए प्राधिकरण आदेश में उल्लेखित शर्ते यथावत रहेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(नीरज दुबे)
सचिव
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

म.प्र.भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल

आदेश–पत्रिका

पंजीयन क्रमांक:

प्रकरण दर्ज दिनांक :

प्रोजेक्ट का नाम–द्वारका माई रेसीडेंसी

प्रोजेक्ट आई डी. 676255504019

कार्यवाही की तारीख, स्थान	आदेश	प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.
04.08.2021	प्रोजेक्ट का नाम – द्वारका माई रेसीडेंसी, हरदा। सम्प्रवर्तक का नाम – श्री निलेश कुमार राठौर, हरदा। प्रकरण में दिनांक 23.07.2021 को सुनवाई हुई, जिसमें संप्रवर्तक की ओर से श्री नितिन अग्रवाल सी.ए. उपस्थित हुए। आवेदक, श्री निलेश कुमार राठौर सम्प्रवर्तक है, के द्वारा नजरपुरा उर्फ मोहन पुर जिला– हरदा का पंजीयन भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू–संपदा (विनियिमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना भूमि आवेदक के स्वामित्व की है तथा भाररहित है। परियोजना नवीन भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें 5016 वर्गमीटर क्षेत्रफल में राशि रुपये 31.98 लाख की लागत से विकास कार्य किया जाना है तथा परियोजना में कुल 37 प्लाट विकसित किये जाने हैं। सुनवाई में सिर्फ बैंक खाता परियोजना के नाम पर खोले जाने का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया। संप्रवर्तक द्वारा दिनांक 03.08.2021 को परियोजना के नाम खाता खोलकर जानकारी प्रस्तुत की गई है। अतः वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदक के शपथ पत्र के अनुसार दिनांक 01.10.2023 रहेगी। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्त्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये। (सं) एस.एस.राजपूत सदस्य (सं) ए.पी. श्रीवास्तव अध्यक्ष	

M/102/21
04/8/21

अवर सचिव
म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

Real Estate
Regulatroy Authority
Madhya Pradesh

म.प्र. भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760
Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश Madhya Prades REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY

प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

संशोधित

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : P-OTH-21-2834

परियोजना का नाम : द्वारका माई रेसीडेंसी, हरदा

परियोजना का विवरण पता सहित : ....

1. व्यक्ति के मामले में : श्री/~~श्रीमती~~ निलेश कुमार राठौर पुत्र श्री/~~श्रीमती~~ शंकर लाल राठौर तहसील रहटगांव जिला हरदा राज्य मध्यप्रदेश

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में : ....

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान ....

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :
   (i) संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
   (ii) संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितिगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
   (iii) संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितिगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
   (iv) पंजीयन दिनांक 10-08-2021 से प्रारंभ होकर दिनांक 01-10-2023 तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
   (v) संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
   (vi) संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।
4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,13,14,15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अध्यधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक 09-12-2022

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण